

फर्द अहकाम

बंशीधर

बनाम

राजरथान सरकार

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोधनेर

केस सं० 162/2025


क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11.08.2025	अधिवक्ता श्री विरदी चंद वर्मा द्वारा वाद बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.08.2025 को पेश हो।	
	27-8-25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17/10/25 को पेश हो	
	17-10-25	पत्रावली पेश हुई। अभियन्ता वादी उप०। पूर्विका की मासता से पत्रावली दिनांक 1/10/25 को पेश थी।	
	1.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/10/25 को पेश हो	
	17/10.25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12/11/25 को पेश हो	
	12.11.25	पत्रावली पेश हुई। अभियन्ता वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं अनुपस्थित। वादी के साथ-साथ संघ के धूधक-धूधक समूह पर तीन तीन बार भावापे लगवायी गयी। बाबाजूर सुनना के उपरांत भी	

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>जारी ने जभागालय में खरिद नहीं आने के कारण मराबली उन्तर्गत मारवा-१ विभाग-३ जा. प्री. के तहत मद्रस हाउसी न मद्रस में खरिद की गयी। मराबली जेसलपुर द्वारा होकर नंबर ले काम होना सम्भव है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>